

पूर्व मध्य रेल/सोनपुर मंडल अधिसूचना

विषय :- 25 प्रतिशत एलडीसीई कोटे के तहत विद्युत (एसी) विभाग में टेक0-III (लेवल-02) वेतनमान Rs.5200-20200/- +GP-1900/- लेवल-02 (7th CPC) के चयन हेतु अधिसूचना।

1. सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से 25 प्रतिशत एलडीसीई कोटा के माध्यम से विद्युत (एसी) विभाग में टेक0-III के रिक्तियों को विद्युत (एसी) में कार्यरत समूह (घ) वेतनमान Rs.5200-20200/- +GP-1800/- लेवल-01 के कर्मचारियों से चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है। रिक्ति विवरण निम्नवत है:-

Category	Quota	Level in 7 th CPC	UR	SC	ST	Total
Tech-III Elect./(AC)	Tech-III/25% LDCE	Level-02	03	01	01	05

02. पात्रता की शर्तें एवं अर्हताएँ :-

(i) शैक्षणिक योग्यता :- "Pass in Matriculation of its equivalent or 10th class under 10+02 system with science as one of the subjects"(मास्टर परिपत्र संख्या-08(Apprentice Act.) एवं आरबीई संख्या:113/2019, दिनांक:12.07.2019 में वर्णित अनुदेश के आलोक में।

(ii) अधिसूचना के मद संख्या: 1 में वर्णित समुदायवार रिक्ति का 1st प्वाइंट PwBDs के लिए रेलवे बोर्ड के आरबीई संख्या: 74/2022 के अनुसार Persons with Benchmark Disabilities(PwBDS) के लिए पदोन्नति में आरक्षण हेतु Earmarked है, जो Horizontal होगा।

(iii) न्यूनतम सेवा अवधि :- रेलवे बोर्ड के पत्र सं.-E(NG)/I-2016/PM7/1(RBE No.43/17)Dt.-03.05.2017 के आदेशानुसार अधिसूचना जारी होने की तिथि को 02 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर्मचारी ही इस चयन में शामिल होने हेतु पात्र है। अन्य विभाग के समूह (घ) वेतनमान Rs.5200-20200/- +GP-1800/- लेवल-01 के कर्मचारियों इस चयन में शामिल होने हेतु पात्र नहीं है।

अजा/अजजा कर्मचारियों के मामले में कर्मचारी यदि लगातार एक वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लिए हो तो आवेदन दे सकते हैं। लेकिन वास्तविक पदोन्नति 02 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के उपरान्त ही देय होगी। (RBE No.03/2019 दिनांक-08.01.2019)।

(iv) जिन कर्मचारियों की नियुक्ति एवजी के तौर पर हुआ हो और बाद में समूह (घ) के पद पर नियमित किये गये हो, को इस चयन में शामिल होने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 02 वर्ष की गणना इनके नियमितीकरण की तिथि से किया जाएगा।

(iv) ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो इस मंडल में अंतर रेलवे/अंतर मंडलीय निजी अनुरोध स्थानांतरण के फलस्वरूप इस मंडल के सम्बंधित वरीयता इकाई में शामिल किये गये हैं, का पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा अवधि की गणना रेलवे बोर्ड के पत्रांक E/(NG)/I-2006/PMI/5(RBE No.34/2006) दिनांक- 21.03.2006 के निर्देशानुसार किया जाएगा।

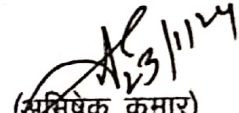
नोट :- रेलवे बोर्ड के पत्र सं.- E/(NG)/I-2005/PMI/52, दिनांक-22.08.2006, के आलोक में पात्रता का निर्धारण हेतु Cut of Date अधिसूचना जारी होने की तिथि माना जायेगा।

03. चयन प्रक्रिया :- रेलवे बोर्ड के पत्र सं.- E/(NG)/I/2000/PMI/41, दिनांक-28.08.2003, के आदेशानुसार इस चयन में मुख्य रूप से चयन में शामिल होने वाले पात्र कर्मचारियों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता निर्धारित रहेगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारी को ही आगे के चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित पैनल आहरण करने की कार्यवाही की जानी है। चूंकि यह संरक्षा श्रेणी का पद है अतः ऐसी स्थिति में अजा/अजजा समुदाय के मामले में उक्त निर्धारित प्राप्तांक के शीर्ष पर कोई भी छुट देय नहीं है।

04. **पैनल तैयार करने की प्रक्रिया :-** रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E/(NG)/1-2008/PM7/4SLP, दिनांक-19.06.2009, एवं E/(NG)/1-2008/PM7/4SLP दिनांक-12.01.2011, के निर्देशानुसार कर्मचारी का अंतिम चयन लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों में प्राप्त किये गये अंको के आधार पर पूर्णरूपेण योग्यता (मैरिट) "In order of Merit" पर आधारित होगा। संपूर्णतः 60% अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नामिका में सम्मिलित किये जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार केवल उन्ही कर्मचारियों के सेवा का मूल्यांकन किया जायेगा जो लिखित परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे।
05. **लिखित परीक्षा हेतु सिलेबस विभाग द्वारा प्राप्त होने के पश्चात् अतिशीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।**
06. **लिखित परीक्षा की तिथि :-** लिखित परीक्षा की तिथि स्थान एवं समय इस कार्यालय द्वारा अल्प अवधि में परीक्षा आयोजित कराये जाने हेतु सूचित किया जा सकता है, अतएव पात्र एवं इच्छुक कर्मचारियों से अधिसूचना जारी होने की तिथि से ही लिखित परीक्षा हेतु जुड़ जाने की अपेक्षा की जाती है। इस चयन की कोई अनुपस्थित लिखित परीक्षा नहीं होगी।
07. **चयन पूर्व कोचिंग :-** रेलवे बोर्ड के पत्र सं. B3-E(SCT)/42/1, दिनांक-14.04.2003, के अनुसार विभागीय अधिकारी अनुसूचित जाति/जन जाति समुदाय के पात्र उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम के आधार पर चयन पूर्व 3-4 सप्ताह (कम से कम 21 कार्य दिवस) प्री-कोचिंग करवाने का प्रबंध करेंगे तथा प्रशिक्षण उपरांत इस आशय का प्रमाण लिखित परीक्षा पूर्व देना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु अनिच्छा जाहिर करता है तो इस आशय का घोषणा उम्मीदवार से प्राप्त कर कार्यालय रिकार्ड हेतु कार्मिक विभाग को भेजा जाए, ताकि भविष्य में इस संबंध में कोई दावा नहीं करेंगे।
08. **पैनलरत कर्मचारियों का प्रशिक्षण :-** पैनलरत कर्मचारी जिनकी शैक्षणिक योग्यता आई. टी. आई. अथवा एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण है उनको ट्रेड टेस्ट (व्यवसायिक जॉब) का आयोजन करते हुए, उसमें सफल होने के उपरांत उन्हें टेक-III वेतनमान Rs.5200-20200/- +GP-1900/- लेवल-02 में पदोन्नति कर दिया जायेगा।
वैसे पैनलरत कर्मचारी जिनकी शैक्षणिक योग्यता आई.टी.आई. अथवा एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण नहीं है, उन्हें विभागीय स्तर पर 06 माह के प्रशिक्षण का आयोजन कराया जाना है। प्रशिक्षण पूरा होने के उपरांत के पश्चात इन्हें ट्रेड टेस्ट में शामिल किया जाना है एवं ट्रेड टेस्ट में सफलता पर टेक-III वेतनमान Rs.5200-20200/- +GP-1900/- लेवल-02 में पदोन्नति कर दिया जाएगा।
वैसे कर्मचारी जो निर्धारित ट्रेड टेस्ट में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें 06 माह के अन्तराल के बाद पुनः ट्रेड टेस्ट कराते हुए उसमें सफलता के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाई किया जाना है।
09. **मेडिकल कोटि :-** बी.-1 (B-1) व उसके उपर होना अनिवार्य होगा।
10. **लिखित परीक्षा की प्रक्रिया :-**
- * लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार (Multiple choice) के प्रश्न होंगे।
 - * लिखित परीक्षा 02 घंटों की होगी। (प्राधिकार महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर का पत्रांक-ईसीआर/गोप/चयन, दिनांक-08.07.2019)
 - * लिखित परीक्षा उत्तर ओ.एम.आर. शीट (OMR Sheet) पर दिया जाना है।
 - * सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे।
 - * Cutting, overwriting, erasing or alleration किये जाने पर उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए शून्य अंक प्रदान किया जाएगा।
 - * प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे तथा कर्मचारी किसी भी भाषा में उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
 - * लिखित परीक्षा में कुल व्यवसायिक अंको के 10 प्रतिशत राजभाषा से संबंधित प्रश्न पुछे जायेंगे। राजभाषा संबंधी प्रश्न वैकल्पिक प्रकृति के होंगे। राजभाषा के प्रश्न को शामिल करते हुए कुल प्रश्नों की संख्या: 110 होगी। प्रश्न संख्या: 101 से 110 तक राजभाषा से संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी 91 से 100 अथवा 101 से 110 तक के एक भाग का चयन कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा दोनों भाषा का उत्तर दिया जाता है तो केवल पहले भाग के उत्तर का मूल्यांकन किया जाएगा।
 - * गलत उत्तर पाए जाने पर 1/3 अंक काट लिए जाएंगे।
- अंको का निर्धारण :-** लिखित परीक्षा-85 अंक
सेवा अभिलेख-15 अंक

11. आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति एवं अजा/अजजा कर्मचारियों को जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
12. **आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि :- 23.02.2024**
विद्युत (एसी) विभाग के इच्छुक कर्मचारी जो पात्रता की सभी शर्तों को पुरा करते हो, संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन अपने नियंत्रक पर्यवेक्षक से अग्रसारित करवाकर दिनांक-23.02.2024 तक वमंयाई(समाडि) कार्यालय सोनपुर में जमा करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद किसी कर्मचारी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अंतिम तिथि के बाद वमंयाई(समाडि) कार्यालय सभी प्राप्त आवेदनों को एक बंच में अग्रसारण पत्र के साथ दिनांक :28.02.2024 तक कार्मिक विभाग (एकल खिड़की) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
13. पात्र अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा के लिए आवश्यक अनुदेश :- परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा ब्लैक/ब्लू पेन उपयोग किया जाएगा। परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का कदाचार या अन्य अशोभनीय कार्य की अनुमति नहीं होगी। इस तरह की हरकत करते हुए पकड़े जाने पर परीक्षा से बंचित कर दिया जाएगा तथा संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी।
14. वमंयाई (समाडि)सोनपुर महोदय से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालय के सूचना पट पर इस अधिसूचना को लगाये जाने के साथ ही इसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।
15. **पाठ्यक्रम :** पाठ्यक्रम विभाग द्वारा प्राप्त कर अतिशीघ्र उपलब्ध करा दिया जायगा।
- 16 इस अधिसूचना को सोनपुर मंडल के कार्मिक विभाग के प्राधिकृत वेबसाइट पर भी अवलोकित किया जा सकता है।

संलग्नक: अनुलग्नक (क)


 (हमिषेक कुमार)
 सहायक कार्मिक अधिकारी-।
 कृते मंडल रेल प्रबंधक
 (कार्मिक) / सोनपुर

संख्या: का/254/IV/विद्युत/एसी/सोनपुर

दिनांक: .23.01.2024

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित:-

01. महाप्रबंधक/कार्मिक एवं महाप्रबंधक (विद्युत), पूमरे/हाजीपुर
02. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कारखाना परियोजना संगठन, पूमरे/पटना
03. मंरेप्र के निजी सचिव-मंरेप्र महोदय को सादर सूचनार्थ
04. अमंरेप्र-। के निजी सचिव-अमंरेप्र-। महोदय को सादर सूचनार्थ
05. मंकाधि(प्रमारी)/वमंयाई/समाडि, सोनपुर एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण संगठन महेन्दुघाट पटना एवं वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/निर्माण संगठन महेन्दुघाट पटना।
06. मुख्य परियोजना निदेशक/रेवि कोलकाता एवं मुख्य परियोजना निदेशक रेल विद्युतीकरण पूमरे दानापुर।
07. वमंयाई-पूमरे/सोनपुर
08. एस.एस.ई विद्युत,एसी-सोनपुर, हाजीपुर, मुज0, बरौनी,
09. सभी कल्याण निरीक्षक-अपने बीट में आवश्यक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।
10. मंडल मंत्री ईसीआकेयू एवं मंडल सचिव-अजा/अजजा, पूमरे/सोनपुर
11. सभी सूचना पट्ट/गोपनीय शाखा तथा एमपीपी अनुभाग।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक) / सोनपुर

सेवा में

मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)

पूर्व मध्य रेल / सोनपुर

विषय : 25% LDCE कोटा के तहत विद्युत एसी, विभाग के टेक-0-111 लेवल-2 (19900-63200) की रिक्तियों को भरने हेतु आवेदन प्रपत्र ।

01.	नाम	:		फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित
02.	भविष्य निधि/प्राण सं.	:		
03.	पदनाम	:		
04.	पिता का नाम	:		
05.	जन्म तिथि	:		
06.	नियुक्ति तिथि (क) अस्थाई दर्जा प्राप्त तिथि (ख) नियमित नियुक्ति तिथि	:		
07.	पदनाम वेतन एवं वेतनमान (लेवल)	:		
08.	मेडिकल श्रेणी	:		
09.	पदस्थापना स्थल	:		
10.	वर्तमान ग्रेड पे में वरीयता की तिथि	:		
11.	दूसरे रेलवे / मंडल से स्थानांतरण पर पदस्थापना तिथि, यदि कोई हो (निजि अनुरोध एवं पारस्परिक स्थानांतरण)	:		
11.	शैक्षणिक योग्यता (स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	:		
12.	पुरस्कार/प्रशस्तिपत्र (स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	:		
13.	समुदाय (स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	:		
14.	अन्य संबंधित सूचना, यदि कोई हो	:		

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में सभी सूचनाएँ सत्य हैं। यदि कोई सूचना/तथ्य संगत या गलत पाया जाये तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। चयनित होने पर पदस्थापना इस मंडल के किसी भी डिपो में की जा सकती है जो मुझे स्वीकार है।

आवेदक का हस्ताक्षर

पदनाम,स्थान एवं दिनांक/मोबाईल नं.

अग्रसारित-मंरेप्र(का0)/सोनपुर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही हैं।

दिनांक-
स्थान-

नियंत्रक अधिकारी का अग्रसारण
एवं कार्यालय का मुहर

पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, नाम
एवं कार्यालय का मुहर